न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 116/2012(पुराना मु0नं0 152/08)

उनवान

1. श्रीमति शान्ति पुत्री हरदेवा पत्नि रतन लाल जाति कीर निवासी ग्राम कीरपुरा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

वादी

बनाम

1. कालू पुत्र हरदेवा जाति कीर निवासी निवासी कीरपुरा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर ।
2. कमली बेवा मोती
3. प्रेमशंकर पुत्र मोती नाबालिक जरिये संरक्षक माता कमली
4. सप्ताह पुत्री मोती नाबालिक जरिये संरक्षक माता कमली
5. जगदीश पुत्र धन्ना
6. बदरी पुत्र धन्ना

(2 से 6) समस्त जाति कीर निवासीयान कीरपुरा तह व जिला सवाई माधोपुर

7. जग्गा पुत्र धन्ना हाल निवासी माकडोदा तह0 व जिला श्योपुरा (म0प्र0)
8. सरकार जरिये तहसीलदार,सवाई माधोपुर।
9. बैक ऑफ बडौदा शाखा खिलचपुर तहसील सवाई माधोपुर जरिये मैनजर।
10. उप पंजीयक सवाई माधोपुर ।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

अभिभाषक :–1. श्री गिर्राज प्रसाद गोयल वकील वादी
2. वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
3. श्री राधामोहन शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 9
4. श्री महावीर प्रसाद चोधरी पेरोकार सरकार प्रतिवादी सं0 8

निर्णय दिनांकः– **31.10.2018**

वादी द्वारा एक वादपत्र उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा में पेश किया है। दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादीया व प्रतिवादी नम्बर एक आपस में सगे भाई–बहिन है व गांव कीरपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं 2. वादीया का ससूराल गांव बिलोली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में है 3. वादी व प्रतिवादी नम्बर एक के पिता हरदेवा कीर निवासी कीरपुरा के दो ही संताने थी। एक वादीया व दूसरी प्रतिवादी नम्बर एक कालू 4. वादीया के पिता हरदेवा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 41 रकबा 3 बीघा बारानी, ख0नं0 50 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा बारानी, ख0नं076 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा बारानी, ख0नं0 87 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी,ख0नं0 98 रकबा 3 बिस्वा चाही, ख0नं0 110 रकबा 8 बिस्वा चाही, ख0नं0 118 रकबा 5 बिस्वा बारानी, ख0नं0 123 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा बारानी, ख0नं0 127 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी, ख0नं0 194 रकबा 1बिस्वा गै0मु0चाह, ख0नं0 195 रकबा 9 बिस्वा बारानी, ख0नं0 197 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 चाह, ख0नं0 573 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा बारानी, इस प्रकार कुल किता 13 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा जिसमें वादीया के पिता हरदेवा पिसरान माधो कीर निवासी कीरपुरा का 1/2 हिस्सा था व शेष बचा 1/2 हिस्सा हरदेवा के छोटे, भाई धन्ना पुत्र माधो कीर जो प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 के पिता

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

थे,उनका का था धन्ना पिसरान माधोा कीर की मृतयु के पश्चात् उसका 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 के नाम बतौर वारिस खुल चुका है इस कारण उनको प्रतिवादी बनाया गया है क्योंकि वह विवादग्रस्त भुमि के सह खातेदार है प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 के विरूद्व वादीया को किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं चाहिये 5. वादीया व प्रतिवादी नम्बर एक के पिता हरदेवा व माता फूमा देवी की मृत्यु के पश्चात् उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की काश्त आराजीयात जो वाद पत्र के पैरा नम्बर 4 में वर्णित है ब़तौर वारिसान नामान्तकरण वादीया व प्रतिवादी नम्बर एक दोनो के नाम पर खोला जाना चाहिये था, परन्तु प्रतिवादी नम्बर एक ने पुपचाप तरीके से पिता हरदेवा व माता फूमा देवी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवा कर खातेदारी में इन्द्राज करवा लिया,जिसका वादीया को इल्म नहीं था। 6. वादीया पिता हरदेवा व माता फूमा देवी की मृत्यु के पश्चात् काश्त करने के समय व फसल तैयार करने के समय अपने ससूराल ग्राम बिलोली से चलकर गांव कीरपुरा नियमित रूप से हर वर्ष आती जाती रही है व काश्त उपज से लाभान्वित होती आ रही है। प्रतिवादी नम्बर एक ने कभी काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं की इस कारण भी वादीया को प्रतिवादी नम्बर एक द्वारा चुपचाप जमीन की अपने नाम पर खातेदारी का इन्द्राज कराने की जानकाकरी नहीं हो पायी 7. माह सितम्बर 2006 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी नम्बर पांच जगदीश पुत्र धन्ना ने वादीया को बताया कि तुम्हारा भाई कालू पुत्र हरदेवा जमीन को बेच रहा है।,तब वादीया ने गांव कीरपुरा आकर प्रतिवादी नम्बर एक कालु पुत्र हरदेवा से इस बारे में बात की, और जमीन बेचने से मना किया तो प्रतिवादी नम्बर एक नाराज हो गया और कहने लगा कि पिता की खातेदारी के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन की खातेदारी अब मेरे नाम पर है, तुम्हारा नाम खातेदारी में नहीं है मै जमीन को रहन व विक्रय करूॅगा,तुम्हे करना हो,सो कर लेना, तब जाकर वादीया ने राजस्व रिकार्ड में जानकारी की, तब वादीया को पता लगा कि प्रतिवादी नम्बर एक ने पिता हरदेवा व माता फूमा देवी की खातेदारी व हिस्से की आराजीयात का उनकी मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण अपने नाम खुलवा कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्रज करवा लिया है यही विनाय वाद कारणउत्पन्न होकर माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र पेश किया जो अदम आजरी अदम पेरवी में खारिज कर दिया गया प्रतिवादी नं0 1 ने पुनः दिनांक 14.7.2008 को वादीया के काश्त में मजाहमत पैदा करने का प्रयास किया, इस कारण न्यायालय में यह नया वाद पत्र पेश किया जा रहा है। 8. वादीया मृतक हरदेवा पिसरान माधो कीर व फूमा देवी बेवा हरदेवा निवासी कीरपुरा की पुत्री है, इस कारण पिता हरदेवा व मता फूमा देवी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात में आधा हिस्सा वादीया का है व आधा हिस्सा प्रतिवादी नम्बर एक का है। वादीया अपने हिस्से की जमीनपर पिता व माता के जीवन काल से ही काबिज होकर लगातार काश्त करती चली आ रही है। अतः वादीया को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पिता हरदेवा व माता फूमा देवी की खातेदारी काश्त आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा की खातेदारी की उदधोषणा करावें व काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी नम्बर एक को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावें 9.गंव कीरपुरा में नवीन सेटलमेंट हो चुका है। पुराने खसरा नम्बरों के स्थान पर नये खसरा नम्बर बना दिये गये है वाद पत्र के पैरा नम्बर 4 में वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि के अब नवीन सेटलमेंट में कुल किता 13 के स्थान पर कुल किता 21 नम्बर बना दिये गये है। जो निम्न प्रकार हैः– ख0नं0 115 रकबा 11 ऐयर,ख0न0 116 रकबा 8 ऐयर ख0न0 117 रकबा 7 ऐयर,ख0न0 118 रकबा 6 ऐयर,खसरा नम्बर 119 रकबा 44 ऐयर,ख0न0 208 रकबा 4 ऐयर, ख0न0 218 रकबा 10 ऐयर ,ख0न0 235 रकबा 46 ऐयर ,ख0न0 240 रकबा 33 ऐयर ,ख0न0 245 रकबा 6 ऐयर ,ख0न0 255 रकबा 35 ऐयर ,ख0न0 469 रकबा 3 ऐयर ,ख0न0 470 रकबा 1 ऐयर ,ख0न0 471 रकबा 11 ऐयर,ख0न0 475 रकबा 1 ऐकड 30 ऐयर ,ख0न0 482/845 रकबा 26 ऐयर, ,ख0न0 514 रकबा 47 ऐयर, ,ख0न0 580 रकबा 38 ऐयर, ,ख0न0 582 रकबा 2 ऐयर ,ख0न0 583 रकबा 16 ऐयर ,ख0न0 585रकबा 2 ऐयर इस प्रकार कुल खसरा नम्बर 21 कुल क्षेत्रफल 4 एकड 86 ऐयर बना दिये गये है जो जबाबंदी सम्वत 2063–2066 से स्पष्ट रूप से साबित है 10. वाद पत्र के पैरा नम्बर में नवीन सेटलमैन्ट में पुराने नम्बरों के स्थान पर जो नये नम्बर वर्णित किये गये हैं उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भुमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

नम्बर 2 लगायत 7 कमली, प्रेम शंकर ,सप्ताह जगदीश,बद्री,जग्गा पिसरान धन्ना का है व शेष बचा 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा पतिवादी नम्बर 1 कालू पुत्र हरदेवा का व शेष बचा 1/4 हिस्सा वादीया शान्ति देवी पुत्री हरदेवा का है। 11. प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 उपरोक्त वर्णित विवादित भुमि के 1/2 हिस्से के सह खातेदार है, इस कारण उनको फोरमल पक्षकार बनाया गया है। 12. तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा है। 13.प्रतिवादी नम्बर 1 ने भूमि को रहननामें के जरिये बैंक ऑफ बडौदा शाखा खिलचीपुर के गिरवी रख दिया है, इस कारण बैंक को प्रतिवादी नम्बर 9 बनाया गया है। 14. वाद पत्र अन्दर म्याद एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश हैं 15. विवादित भूमि गांव कीरपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है इस लिये न्यायालय को सुनवाई का पूरा–2 अधिकार प्राप्त है। 16 वादिया का वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें। क– घोषणा इस्तकरार हक इस अमर की फरमाई जावें कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 9 में वर्णित भूमि की वादीया मृतक हरदेवा पिसरान माधो कीर व फूमा देवी बेवा हरदेवा की पुत्री होने के कारण 1/4 हिस्से की खातेदार कास्तकार है ख– राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम 1/4 हिस्से का अंकन किया जावें। ग. प्रतिवादी नम्बर एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वाद पत्र के पैरा नम्बर 9 में वर्णित भूमि में वादीया का हिस्सा 1/4 में वादीया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उप्पन्न न स्वंय करें न दीगर व्यक्तियों से करावें। घ. अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो न्यायहित में वादी को दिलाई जावें ड. प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावें कि वह बिना तकास्मा कराये भूमि का रहन व विक्रय नहीं करे।

प्रतिवादीगण संख्या 9 की ओर से जवाब दावा 10.2.2009 को पेश किया जो इस प्रकार है कि दावे के मद नं0 1लगायत 12 बवजह लाइल्मी अस्वीकार किया दावे के मद नं0 13 स्वीकार किया दावा के मद नं0 14 व 15 कानूनी बिन्दू होने के कारण जवाब का मोहताज नहीं होना अंकित किया वाद पत्र मा मद नं0 16 भी अस्वीकार किया एवं जवाब दावा पेश कर निवेदन किया वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। **प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 की ओर से दिनांक 12.6.12 को जवाब प्रस्तुत किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:–** दावे के मद नं0 1लगायत 11 स्वीकार होना अंकित किया,वादपत्र का मद नं0 12 व 15 कानूनी बिन्दू होने के कारण जवाब का मोहताज नहीं होना अंकित किया वाद पत्र मा मद नं0 16 भी स्वीकार कर निवेदन किया है कि दावा डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं0 2 लगायत 7 को कोई आपत्ति नहीं है। **प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से जवाब दावा 21.06.2012 को पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है** :–कि दावे के मद नं0 1लगायत 2 स्वीकार किया है। दावे के मद नं0 3 कतई गलत होने से अस्वीकार कर अंकित किया है कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 खास तीन भाई बहिन है, सबसे बडी बहिन स्याणी जिससे छोटी वादीया स्वयं एवं सबसे छोटा प्रतिवादी संख्या 1 कालू है तथा बडी बहिन स्याणी की मृत्यु हो चुकी है तथा स्याणी के वारिसान को उक्त वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए वादीया का वाद पत्र कानूनी चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र का मद नं0 4 स्वीकार होना अंकित किया वाद पत्र का मद नं0 5 जिस तरह तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है; वादीया, खास तीन सगे भाई बहिन है तथा सबसे बडी बहिन स्याणी व उससे छोटी वादीया शांति व तीसरे नम्बर का कालू जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 है तथा वादीया शांति ने व बडी बहिन स्याणी ने अपने पिता हरदेवा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से गांव के पंच पटेलों के समक्ष अपने अपने हिस्से की आराजियात का आपसी सहमति से 150,000/–रूपये लेकर पटवारी हल्का के समक्ष व ग्राम पंचायत के समक्ष राजी खुशी व स्वेच्छा से यह बयान दिया कि वादीया की बडी बहिन स्याणी को इस आराजी के हिस्से की जगह प्रत्येक को 1,50,000/– रूपये 1,50,000/– रूपये दोनो बहिनों ने अपने भाई कालू प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमारे मृतक पिता हरदेवा के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात में से हिस्सा नहीं चाहियें, इसलिए हम दोनो बहिनों का नामनान्तरकरण में दर्ज नहीं किया जावें, क्योंकि हम दोनो बहिनों को अपने अपने हिस्से की आराजी का रूपये प्रत्येक को एक लाख पच्चास हजार रूपये प्रतिवादी संख्या 1 कालू से प्राप्त कर लिया है इस कारण वादीया ने व वादीया की बडी बहिन स्याणी ने पटवारी हल्का व

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

ग्राम पंचायत व पंच पटेलों के समक्ष दिया गया बयान के आधार पर उपरोक्त आराजीयात का मृतक हरदेवा की विरासत का नामान्तरकण का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोला गया है व दर्ज किया है। वादीया ने अपने वादपत्र में समस्त तथ्यों को मनगढन्त झुठे लिखे है तथा वादीया के मन में अब बदयान्ति आ जाने की वजह से यह कतई झूंठा वादपत्र पेश किया है जो कि चलने योग्यनहीं है। वाद पत्र का मद नं0 6 अस्वीकार होना अंकित किया कि वादीया ने अपने पिता हरदेवा की मृत्यु के पश्चात ही उपरोक्त आराजीयात का स्वेच्छा से व राजीखुशी से गांव व पंच पटेलो के समक्ष एवं पटवारी हल्का के समक्ष बयान दिया कि मेने मेरे पिता की आराजीया में से मेरे हिस्से की आराजी का 150000रूपये प्राप्त कर लिये इसलिये उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण प्रतिवादी नं0 1 के नाम खुला। वाद पत्र का मद नं0 7 अस्वीकार है वादीया का यही दावा जिसमें सेम यही पक्षकारान थें इसलिए पुनः यह दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है, क्योंकि यही दावा पूर्व में खारिज हो चुका है तथा उक्त वादपत्र में कोई नई बात व बदलाव नहीं है। वाद पत्र का मद नं0 8 अस्वीकार है वादीया ने अपनी बडी बहिन स्याणी के वारिसानों को पक्षकार नही बनाया है इसलिये वाद पत्र खारिज योग्य है, चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र का मद नं0 9 व 11 स्वीकार है।वाद पत्र का मद नं0 10 ,13 व 16 अस्वीकार किया है। वाद पत्र का मद नं0 12, 14 व 15 कानूनी होने के कारण जवाब का मोहताज नहीं है। अतः जवाब दावा प्रतिवादी सं0 1 की और से पेशकर निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारित फरमाया जावें।

तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गईः–

1. आया विवादग्रस्त आराजीयात वादीया व प्रतिवादी न0 1 के पिता हरदेवा की कब्जे काश्त की आराजीयात है हरदेवा की मुत्यु के बाद विवादगस्त आराजीयात में हरदेवा के हिस्से की आराजीयात में वादीया व प्रतिवादी नं0 1 का बराबर का हिस्सा है। (वादीया)
2. आया विवादग्रस्त आराजीयात में मृतक हरदेवा की पुत्री शान्ति का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि पिता की सम्मत्ति में विवाहिता पुत्री का कोइ अधिकार नहीं है। (प्रतिवादी नं01)
3. अन्य दादरसी

प्रतिवादी सख्या 10 के विरूद्व दिनांक 12.6.12 को एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्व दिनांक 17.1.18 को एक पक्षीय कार्यवाही उनके उपस्थिरथित नही होने के कारण अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में वादीया शांति पी0डब्लू–1 का बयान शपथ पत्र दिनांक14.3.18 को पेश हुआ जिस पर दिनांक 11.7.18 को वादीया का शपथ पत्र पर बयान लिया गया वादिया ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 तथा प्रदर्श –2 जमाबन्दी सम्वत 2063–66 प्रदर्श करवाये। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नही होने से दिनांक 8.8.18 को इनकी साक्ष्य बंद की गई।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन किया तनकी के अनुसार निर्णय निम्नानुसार किया जा रहा हैः–

1. तनकी नं0 1 आया विवादग्रस्त आराजीयात वादीया व प्रतिवादी न0 1 के पिता हरदेवा की कब्जे काश्त की आराजीयात है हरदेवा की मुत्यु के बाद विवादगस्त आराजीयात में हरदेवा के हिस्से की आराजीयात में वादीया व प्रतिवादी नं0 1 का बराबर का हिस्सा है। (वादीया)
   इस तनकी के सम्बन्ध में वादिया ने अपने स्वयं का बयान न्यायालय में कराया है जिसमे उसने स्वयं वादी को मृतक हरदेवा की पुत्री होना तथा प्रतिवादी संख्या एक का हरदेवा का पुत्र होना कथन किया है जिन तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी अपने जवाब दावे में स्वीकार किया गया। वादग्रस्त आराजी पूर्व में हरदेवा के नाम दर्ज थी जिसकी पुष्टि प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 से होती है तथा हरदेवा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कालू के अकेले के नाम दर्ज की गई है जिसमे वादी शांति का नाम दर्ज नही है जिसकी पुष्टि प्रदर्श –2 जमाबन्दी सम्वत 2063–66 से होती है।ऐसी सूरत में वादिया का विवादित आराजीयामें प्रतिवादी नं0 1 के भाग में

सहायक कलेक्टर

1/2 भाग सहखातेदार होना बखूभी प्रमाणित होता है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र 17.5.17 विक्रेता कालू पुत्र हरदेवा कीर बहक केता श्यामा देवी पत्नी जयराम कीर की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में प्रस्तुत की गई है जबकि दावा दिनांक 31.7.2008 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्रा0पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 में दिनांक 30.7.2015 को विवादित आराजीयात को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है कि प्रार्थीया के हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न अन्य से करावे न ही भूमि को को रहन बय मुन्तकिल करें चूंकि यह विक्रय पत्र दावा पेश करने के बाद का है जो धारा 52 टी0पी0 ऐक्ट के प्रावधानो के अनुसार यह अन्तरण दोराने दावा किया हुआ अन्तरण होने से प्रभाव शून्य व अवैध की श्रेणी में आता है एवं प्रतिवादी नं0 1 इन विवादित आराजीयात का बेचान बाबत इस न्यायालय से भी कोई अनुमति नही ली है इसलिये दोराने दावा किया हुआ विक्रय पत्र शून्य घोषित किया जाता है। केतागण भी पक्षकारान की तरह इस निर्णय व डिकी से पूर्ण तरह बाध्य है वादीया अपने दावे को पूर्णरूप से प्रमाणित करने में सफल रही है प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिससे प्रमाणित हो कि उक्त विवादित भूमि में अपनी बहन वादीया को उसके हिस्से के ऐवज में 1.50 लाख रूपये दिये हो ना ही बहिन वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कोई हकत्याग रजिस्टर्ड कराया हो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 अपने जवाब दावे को प्रमाणित करने में असफल रहा है।हमने वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 1167 & 1168/Jaipur of 2006; decided on 15th Feb., 2006. उनवान मोहन लाल बनाम बसन्ती में पारित निर्णय दिनांक 11 फरवरी,2006 आर0आर0टी0 2007के पेज संख्या 42 पर यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955–धारा 230 प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद भूमि प्रथम श्रेणी के वारिसान में नामान्तरित होनी चाहिये– माता का नाम दर्ज नही किया और केवल पुत्र का नाम दर्ज किया ऐसा दस्ताजेज प्रारम्भतः शून्य है एवं कानून की नजर में अकृत है और जब न्यायालय की जानकारी में आने पर अपास्त होने योग्य है–नामान्तरकण अपास्त किया तथा (एम) द्वारा पश्चातवर्ती विक्रय शून्य घोषित किया तथा अपास्त किया।इस तरह वादीया की मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकी नं0 एक वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 2:– आया विवादग्रस्त आराजीयात में मृतक हरदेवा की पुत्री शान्ति का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि पिता की सम्मत्ति में विवाहिता पुत्री का कोइ अधिकार नहीं है। (प्रतिवादी नं01)

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी विधिक स्थिति नही बताई है हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की सम्मपत्ति में मृतक के पुत्र एवं पुत्री को समान अधिकार प्राप्त होते है पुत्री के विवाहित होने से उसके अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है इसलिये तनकी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– अन्य दादरसी

तनकी संख्या 1 को वादीया के पक्ष में तथा तनकी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित किये जाने से वादिया का वाद स्वीकार होने योग्य पाया जाता है इसलिये वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है।

अतः दावा वादीया स्वीकार कर डिर्की किया जाता है कि विवादित ख0नं0 475,482/845,115,116,117,118,119,208,218,235,240,245,255,469,470,471,514,580,582,283 व 285 कुल किता 21 कुल रकबा 4.8600 हैक्टयर वाके ग्राम कीरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भुमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 का है व शेष

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

बचा 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 कालू पुत्र हरदेवा का व शेष बचा 1/4 हिस्सा वादीया शान्ति देवी पुत्री हरदेवा को सहखातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पश्चातवती विक्रय शून्य घोषित कर अपास्त किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में यदि केता श्रीमति श्यामादेवी पत्नी जयराम कीर निवासी बाढबिलोली का इन्द्राज कर दिया गया हो तो उसे हटाया जाकर उसके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में भी उपरोक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 भाग के 1/2 भाग तथा सम्पूर्ण आराजीयात के 1/4 हिस्से पर सहखातेदार काश्तकार के रूप में वादिया का नाम का भी में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी नम्बर एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वाद पत्र के पैरा नम्बर 9 में वर्णित भूमि में वादीया का हिस्सा 1/4 में वादीया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उप्पन्न न स्वंय करें न दीगर व्यक्तियों से करावें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर (मु0)
सवाई माधोपुर